Royal Commission
into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation
of People with Disability

लोक
सुनवाईयाँ

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन (विकलाँगता राजकीय आयोग) में गवाहों के लिए एक संदर्शिका

Public hearings
A guide for witness at the
Disability Royal Commission

Hindi | हिन्दी

और अधिक समावेशी,
न्यायसंगत समाज

विषय-वस्तु

लोक सुनवाई क्या होती है? **1**

लोक सुनवाई में प्रमाण देना **2**

गवाह 2

गवाह का बयान 2

स्वयं आकर प्रमाण देना 3

सम्मन प्राप्त होना 4

लोक सुनवाई में क्या होता है **5**

सुनवाई कक्ष 5

सुनवाई में दिए जाने वाले प्रमाण का प्रकाशन 6

मीडिया 7

कानूनी प्रतिनिधि **8**

नि:शुल्क एवं स्वतंत्र कानूनी समर्थन 8

कानूनी वित्तीय सहायता योजना 9

पेश होने की शर्त से छूट का आवेदन **10**

सलाह और समर्थन **11**

हमें संपर्क करें **13**

सूचित रहें **14**

लोक सुनवाई क्या होती है?

लोक सुनवाईयाँ औपचारिक कार्यविधियाँ होती हैं जिनमें गवाह, शपथ या अभिपुष्टि के अधीन, डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन की संदर्भ की शर्तों से प्रासंगिक घटनाओं और मामलों के बारे में प्रमाण देते हैं।

आयुक्त विकलाँगता से पीड़ित लोगों के साथ की जाने वाली हिंसा, अवहेलना, दुर्व्यवहार और शोषण से सम्बन्धित प्रमाण एकत्रित करने के लिए पूरे देश-भर में अनेक लोक सुनवाईयों का आयोजन कर रहे हैं।

लोक सुनवाईयाँ व्यक्तिगत मामलों और इस संबंध में सूचित होती हैं कि विकलाँगता से पीड़ित लोग, साथ ही उनके परिवार और देखभालकर्ता विशेष समस्याओं से कैसे प्रभावित हुए हैं। इनमें वर्तमान और भूतपूर्व सरकारी, संस्थागत और सामुदायिक कार्यप्रथाएँ शामिल हो सकती हैं।

ऐसी सुनवाईयाँ आम-तौर पर निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित होती हैं:

- रूचि के विशेष विषय, जैसे कि शिक्षा, सामूहिक आवास, स्वास्थ्य और/या आपराधिक न्याय प्रणाली
- उन विशेषज्ञों और व्यक्तियों से मिलने वाला प्रमाण जिनके पास मामलों का अनुभव हो
- यह कि सरकारों, संस्थानों और/या समुदायों ने पूर्व में कैसे प्रतिक्रिया की है, वे किस प्रकार अलग तरीके से कार्य कर सकते थे, वे अब कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और वे भविष्य में कैसे बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

रॉयल कमीशन की सभी लोक सुनवाईयाँ रिकॉर्ड की जाती हैं और इन्हें रॉयल कमीशन की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। रॉयल कमीशन की प्रत्येक लोक सुनवाई की लाइव कैप्शनिंग की जाती है (लाइव अनुशीर्षक दिए जाते हैं) और इसमें Auslan-अंग्रेज़ी के दुभाषिए उपलब्ध होते हैं।

लोक सुनवाई में प्रमाण देना

गवाह

सुनवाई में प्रमाण देने वाले लोगों को गवाह कहा जाता है।

रॉयल कमीशन की सहायता करने वाले सॉलिसिटर और काउंसल की यह जिम्मेदारी होती है कि वे किसी विशेष सुनवाई पर गवाह के तौर पर पेश होने वाले लोगों की पहचान करें। वे रॉयल कमीशन को जमा की गई सब्मिशनों, उनको प्रस्तुत किए अन्य दस्तावेज़ों की समीक्षा करके, पक्षसमर्थक समूहों से बातचीत करके, और अकादमिक साहित्य की समीक्षा करके ऐसा करते हैं।

गवाहों का चयन इस आकलन के आधार पर होता है कि उनका प्रमाण जांच-पड़ताल किए जाने वाले मामले को कैसे दर्शाएगा, या इसका विस्तार कैसे करेगा।

गवाह के बयान

यदि किसी लोक सुनवाई में एक संभावी गवाह के तौर पर आपकी पहचान की गई है, तो रॉयल कमीशन की सहायता करने वाले सॉलिसिटर या काउंसल आपको गवाह बयान देने के लिए कह सकते हैं। यह आम-तौर पर एक प्रकार का दस्तावेज़ होता है जिसे आप सुनवाई से पहले किसी वकील की सहायता से तैयार करते/करती हैं, और जिसमें आपके द्वारा रॉयल कमीशन को दिया जाने वाला प्रमाण निर्धारित किया जाता है। आपके बयान में दी जाने वाली जानकारी उस सुनवाई से प्रासंगिक विशिष्ट घटनाओं से सम्बन्धित होगी।

हो सकता है कि रॉयल कमीशन आपको गवाह बयान देने, सुनवाई में प्रमाण देने या दोनों काम करने के लिए कहे। गवाह बयान देने वाले हर व्यक्ति को सुनवाई में प्रमाण देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

गवाह बयान या सुनवाई पर प्रमाण देने वाले किसी भी व्यक्ति के पास सुनवाई से पहले, इसके दौरान और इसके बाद नि:शुल्क कानूनी और भावनात्मक समर्थनों तक पहुँच प्राप्त होगी।

यदि आप रॉयल कमीशन को जानकारी प्रदान करना चाहते/चाहती हैं परन्तु आपको गवाह बयान देने के लिए नहीं कहा गया है, तो आप अपने अनुभव सब्मिशन या निजी सत्र में सांझे करने का चयन कर सकते/सकती हैं। रॉयल कमीशन के साथ अपने अनुभव कैसे सांझे करे, इसका पता लगाने के लिए हमारी वेबसाइट www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story देखें।

आप आकर प्रमाण देना

रॉयल कमीशन कुछ गवाहों को स्वेच्छा से प्रमाण देने के लिए आमंत्रित करेगा।

रॉयल कमीशन के पास गवाहों के लिए पेश होना अनिवार्य बनाने का अधिकार भी होता है। यह सुनवाई पर प्रमाण देने के लिए सम्मन जारी करके ऐसा करती है।

यदि रॉयल कमीशन आपको प्रमाण देने के लिए आमंत्रित करती है, तो आप यह चयन कर सकते/सकती हैं कि आपको प्रमाण देना है या नहीं। रॉयल कमीशन सामान्यत: हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण या अवहेलना का अनुभव कर चुके विकलाँगता से पीड़ित लोगों द्वारा उस परिस्थिति में प्रमाण देना आवश्यक नहीं बनाएगी यदि वे ऐसा न करना चाहते हों।

सम्मन प्राप्त करना

भले ही रॉयल कमीशन ने आपको स्वेच्छा से प्रमाण देने के लिए आमंत्रित किया हो, पर जब आप इसके लिए सहमत हो जाएँ, तो रॉयल कमीशन आम-तौर पर प्रमाण देने आने के लिए औपचारिक सम्मन जारी करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप सम्मन प्राप्त करते/करती हैं तो आप प्रासंगिक विधान के तहत निश्चित संरक्षणों के लिए पात्र होते हैं।

यदि आपको रॉयल कमीशन से सम्मन मिलता है, तो आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप सम्मन की पालना करें। रॉयल कमीशन आपको उस तिथि से जितनी पहले संभव होगा इसकी सूचना देगा जिस तिथि पर आपको सुनवाई में भाग लेने की आवश्यकता है।

एक बार आपको सम्मन दिए जाने के बाद, अपने वकील, या यदि प्रासंगिक हो तो अपने काउंसलर या किसी अन्य समर्थक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने प्रमाण की चर्चा न करना ही सबसे बढ़िया होता है।

लोक सुनवाई में क्या होता है

यदि आप लोक सुनवाई में प्रमाण दे रहे/रही हैं, तो रॉयल कमीशन आपको ऐसे तरीके से प्रमाण देने में आपका समर्थन करेगा जो आपके लिए सबसे उचित हो। जैसे कि, यदि आवश्यक हो तो हम परिवहन, Auslan-अंग्रेज़ी दुभाषिए और संचार में समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

जब आप प्रमाण दे रहे/रही हों, तो कोई आयुक्त आपको आपके प्रमाण की सच्चाई के बारे में शपथ लेने (किसी धार्मिक पाठ पर शपथ लेनी) या अभिपुष्टि करने (यदि आप धार्मिक नहीं हैं या आप किसी अन्य कारणवश शपथ नहीं लेना चाहते/चाहती हैं) के लिए कहेगा।

इसके बाद रॉयल कमीशन की सहायता करने वाला काउंसल आपके प्रमाण के बारे में आपसे सवाल पूछेगा। हो सकता है कि आयुक्त आपसे सवाल पूछें। सीमित परिस्थितियों में, सुनवाई में अन्य पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं।

सुनवाई कक्ष

लोक सुनवाईयाँ उन सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाती हैं जो सुलभ हों। सुनवाई के प्रकार और इसमें शामिल लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर, कक्ष में आम-तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे:

- आयुक्त जो कि मेज़ पर एकसाथ बैठे होंगे
- रॉयल कमीशन की सहायता करने वाले सॉलिसिटर और काउंसल जो आयुक्तों और गवाह के सामने वाली मेज़ पर बैठे होंगे
- गवाह जो कि सुनवाई कक्ष के एक ओर बैठे होंगे ताकि रॉयल कमीशन की सहायता करने वाले सॉलिसिटर और काउंसल उन्हें आसानी से देख सकें
- आयुक्तों के सामने, सुनवाई कक्ष के पीछे की ओर कुर्सियाँ होंगी जो कि जनता के सदस्यों और लोक सुनवाई देखने की रूचि रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए होंगी, और

- ऐसे दस्तावेज़ प्रदर्शित करने के लिए स्क्रीनें जो सम्भवत: सुनवाई के कुछ निश्चित भागों के लिए प्रासंगिक हों और/या गवाह जो वीडियो लिंक के माध्यम से प्रमाण दे रहे हों।

सुनवाई कक्ष में और इसके आसपास अन्य लोग भी होंगे, जैसे कि सलाहकार, सुरक्षा कर्मचारी, दुभाषिए, प्रतिलेखक और आई.टी. कर्मचारी। ये लोग यह सुनिश्चित करने में सहायता देने के लिए होते हैं कि सुनवाई जितना संभव हो सके सुचारु और सुरक्षित ढंग से चले।

यदि कोई व्यक्ति लोक सुनवाई का अवलोकन करना चाहता है तो वह इसे रॉयल कमीशन की वेबसाइट पर लाइव देख सकता है।

सुनवाई में दिए जाने वाले प्रमाण का प्रकाशन

कुछ परिस्थितियों में, रॉयल कमीशन यह निर्देश दे सकता है कि जानकारी को कैसे प्रकाशित किया जाना, या नहीं किया जाना है। जैसे कि, यह निर्देश दिया जा सकता है कि गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा, या कुछ निश्चित जानकारी को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इन निर्देशों को गैर-प्रकाशित निर्देश कहा जाता है।

रॉयल कमीशन अपनी लोक सुनवाईयों के प्रतिलेख रॉयल कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। हो सकता है कि यह रॉयल कमीशन की रिपोर्ट्स में भी प्रमाण प्रकाशित करे। परन्तु, यदि प्रमाण गैर-प्रकाश निर्देश के अधीन है, तो उस प्रमाण को प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मीडिया

हो सकता है कि सुनवाई कक्ष में, तथा साथ की इमारत में और इमारत के आसपास मीडिया भी उपस्थित हो। पत्रकारों को लोक सुनवाई कक्ष के भीतर फिल्म बनाने या इंटरव्यू लेने की अनुमति नहीं होती है। मीडिया को किसी ऐसे गवाह या किसी ऐसी जानकारी की पहचान का खुलासा करने की अनुमति नहीं होती है जो गैर-प्रकाशन निर्देशों के अधीन हो।

पत्रकार अक्सर गवाहों की फोटो तब लेते हैं या फिल्म तब बनाते हैं जब वे इमारत के मुख्य द्वार से आते-जाते हैं परन्तु यदि गैर-प्रकाशन निर्देश लागू हो तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है। यह आपका फैसला होता है कि आप मीडिया से बात करना चाहते/चाहती हैं या नहीं।

कानूनी प्रतिनिधि

रॉयल कमीशन की सहायता करने वाले सॉलिसिटर और काउंसल प्रमाण एकत्रित करने में रॉयल कमीशन की मदद करते हैं। हालाँकि वे आपका गवाह बयान तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं, परन्तु वे आपको कानूनी सलाह नहीं दे सकते हैं या लोक सुनवाई के दौरान आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।

यदि रॉयल कमीशन:

- अपने सॉलिसिटर के साथ आपको बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है
- आपको बयान देने के लिए आमंत्रित करता है या आपके लिए ऐसा करना अनिवार्य बनाता है, और/या
- आपको प्रमाण देने के लिए आमंत्रित करता है, या आपके लिए ऐसा करना आवश्यक बनाता है

तो आपको सलाह देने के लिए आप अपने खुद का वकील चुन सकते/सकती हैं और/या आप अपनी रुचियों को सुरक्षित करने के लिए बैठक या सुनवाई पर उपस्थित रहने के लिए किसी वकील का चयन कर सकते/सकती हैं।

कानूनी समर्थन

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के साथ बातचीत करने की रुचि रखने वाले लोगों के लिए नि:शुल्क, स्वतंत्र कानूनी सलाह और सूचना उपलब्ध है

इससे निम्नलिखित में सहायता मिल सकती है:

- रॉयल कमीशन के अधिकारों, कार्यविधियों और दिशा-निर्देशों के बारे में सूचना एवं सलाह
- गवाहों के बयान लिखना
- गोपनीयता अनुबंध जैसी प्रासंगिक कानूनी समस्याओं से सम्बन्धित सलाह
- वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी जो आपके लिए उपलब्ध हो सकती है।

1800 771 800 पर नि:शुल्क कॉल करें सोमवार-शुक्रवार या वेबसाइट www.yourstorydisabilitylegal.org.au देखें।

कानूनी वित्तीय सहायता योजना

जब आप निम्नलिखित तरीकों से हमारे साथ काम करेंगे तो कानूनी और अन्य खर्चों की पूर्ति की जाएगी:

- रॉयल कमीशन की सुनवाई पर गवाह के तौर पर बुलाए जाने पर, या पेश होने की शर्त से छूट दिए जाने पर
- रॉयल कमीशन के साथ इंटरव्यू में भाग लेने का निवेदन दिए जाने, या भाग लेने पर
- सूचना देने के नोटिस या लिखित तौर पर वक्तव्य का अनुपालन करने पर जिसका प्रयोग रॉयल कमीशन में प्रमाण के तौर पर किया जाएगा, और/या
- रॉयल कमीशन द्वारा जारी उपस्थित करने के नोटिस की अनुपालना करने पर

यदि रॉयल कमीशन द्वारा आपको अपनी निजी क्षमता में बुलाया जाता है तो आप कानूनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। यदि आपकी संस्था को बुलाया गया है, तो आप इस आकलन के अंतर्गत कानूनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं कि क्या संस्था गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना अपने कानूनी प्रतिनिधियों के खर्च को पूरा कर सकती है या नहीं।

अटॉर्नी-जनरल विभाग की वेबसाइट में यह जानकारी शामिल होती है कि आप आवेदन कैसे कर सकते/सकती हैं और आकलन की समयसीमाएँ क्या हैं। www.ag.gov.au देखें।

पेश होने की शर्त से छूट का आवेदन

रॉयल कमीशन अपनी वेबसाइट पर लोक सुनवाईयों के कार्यक्रम प्रकाशित करता है। प्रत्येक सुनवाई से पहले, किसी विशिष्ट सुनवाई में सीधी और पर्याप्त रूचि रखने वाले लोग और संस्थाएँ पेशगी की शर्त से छूट दिए जाने का आवेदन कर सकती हैं।

पेशगी की शर्त से छूट दिए जाने के आवेदन सामान्यत: उन लोगों या संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं जो रॉयल कमीशन के सामने प्रमाण देने के अधीन होते हैं। इनमें व्यक्ति-विशेष तथा साथ ही सेवा प्रदाता और् सरकारी संस्थाएँ शामिल हो सकती हैं।

आवेदन मंज़ूर किया जाएगा या नहीं, यह फैसला लेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है।

यदि किसी व्यक्ति या संस्था को सुनवाई पर पेशगी की शर्त से छूट दी जाती है, तो उन्हें सीमित परिस्थितियों में गवाह से सवाल पूछने और/या उन्हें प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने वाले मामलों पर मुंह-ज़बानी सब्मिशन जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें लोक सुनवाई की समाप्ति पर लिखित सब्मिशन करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

यदि रॉयल कमीशन लोक सुनवाई पर प्रमाण देने के लिए आपको आमंत्रित करता है, या आपके लिए ऐसा करना आवश्यक बनाता है, तो आप पेशगी की शर्त से छूट पाने का आवेदन पूरा करना चाह सकते/सकती हैं। लोक सुनवाई पर गवाह आम-तौर पर पेशगी की शर्त से छूट के लिए केवल तभी आवेदन करते हैं यदि वे प्रमाण देने के बाद भी भाग लेना चाहते हैं – जैसे कि, दूसरे गवाहों से सवाल करने, या सुनवाई में दिए गए प्रमाण के संबंध में लिखित सब्मिशन करने के लिए।

पेशगी की शर्त से छूट का आवेदन "Application for leave to appear at a hearing of the Royal Commission" फॉर्म पूरा करके किया जाता है, जो रॉयल कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सलाह और समर्थन

रॉयल कमीशन की सलाहकारों की एक टीम है जो लोक सुनवाईयों से पहले और इसके बाद गवाहों को समर्थन प्रदान करती है। वे उस दिन गवाहों और प्रतिभागियों को सलाह और समर्थन प्रदान करने के लिए भी सभी लोक सुनवाईयों में भाग लेते हैं।

Blue Knot Foundation डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति और विकलाँगता से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों और समर्थक व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विशेषज्ञ सलाह समर्थन और रेफरल सेवा प्रदान करती है।

नेशनल हॉटलाइन को 1800 421 468 पर फोन करें। यह प्रतिदिन खुली रहती है।

यदि आप बहरे हैं, या आप सुनने या बोलने के किसी विकार से ग्रस्त हैं, तो नेशनल रिले सेवा को 133 677 पर फोन करें और कहें कि आप 02 6146 1468 नम्बर पर फोन मिलाए जाना चाहते/चाहती हैं।

यदि आपकी गैर-मौखिक या अन्य संचार आवश्यकताएँ हैं, तो ऑनलाइन चैट सुविधाएँ तथा ई-मेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि आप अपनी ऐक्सेस (पहुँच) और संचार संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया helpline@blueknot.org.au पर संपर्क करें।

यदि आपको किसी अन्य भाषा में सहायता की ज़रुरत है, तो कृपया फोन करें:

- **राष्ट्रीय सलाह एवं रेफरल सेवा को 1800 421 468 पर फोन करें और दुभाषिए के लिए निवेदन करें (सलाहकार इसका प्रबंध करेगा), या**
- **अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें और राष्ट्रीय सलाह एवं रेफरल सेवा को 1800 421 468 पर फोन करें।**

यदि आप ब्रैल (उत्कीर्ण लेख) में हमारा कोई दस्तावेज़ ऑर्डर करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया 1800 517 199 पर फोन करें।

हमें संपर्क करें

1800 517 199 पर

सोमवार से शुक्रवार (राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के अलावा)।

यदि आप बहरे हैं, या आप सुनने या बोलने के किसी विकार से ग्रस्त हैं, तो नेशनल रिले सेवा को 133 677 पर फोन करें और कहें कि आप 07 3734 1900 नम्बर पर फोन मिलाए जाना चाहते/चाहती हैं।

अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में हमें फोन करने के लिए नि:शुल्क अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS नेशनल) को 131 450 पर फोन करें और उन्हें कहें कि आप 1800 517 199 नम्बर पर फोन मिलाए जाना चाहते/चाहती हैं।

डाक पता

GPO Box 1422, Brisbane, Qld 4001.

ई-मेल और वेबसाइट

DRCenquiries@royalcommission.gov.au

www.disability.royalcommission.gov.au

सूचित रहें

फेसबुक

facebook.com/disability.royalcommission.gov.au

ट्विटर

@DRC_AU

Connect ई-न्यूज़लैटर

हमारी हर दो सप्ताह बाद आने वाली ई-न्यूज़लैटर *Connect* को सबस्क्राइब करने के लिए, हमारी वेबसाइट पर सबस्क्रिप्शन फॉर्म भरें या DRCmailinglist@royalcommission.gov.au पर ई-मेल भेजें।

Royal Commission

into Violence, Abuse, Neglect and
Exploitation of People with Disability